विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक - 4861
सदन में उत्तर देने की तिथि- 11-03-2016

परिशिष्ट - एक

मान. विधायक - श्री हर्ष यादव

8. परिवीक्षा.---(1) किसी सेवा या पद पर सीधी भरती द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को साधारणत: ऐसी अवधि के लिये, जैसी कि विहित की जाये, परिवीक्षा पर रखा जाएगा.

(2) नियुक्ति प्राधिकारी पर्याप्त कारणों से, परिवीक्षा अवधि को ऐसी अवधि तक और बढ़ा सकेगा जो एक वर्ष से अधिक नहीं होगी.

**टिप्पणी विलोपित :

(3) परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, उसकी परिवीक्षा की अवधि के दौरान ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा ऐसी विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण करना होगी जो विहित की जाये.

(4) परिवीक्षाधीन व्यक्ति की सेवाएं परिवीक्षा की अवधि के दौरान उस स्थिति में समाप्त की जा सकेंगी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का यह मत हो कि वह एक उपयुक्त शासकीय कर्मचारी सिद्ध नहीं हो सकेगा.

(5) जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण न की हो या जिसे सेवा या पद के अनुपयुक्त पाया जाये, उसकी सेवाएं परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर समाप्त की जा सकेंगी.

---

*(6) सफलतापूर्वक परिवीक्षा पूर्ण करने पर तथा विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, उत्तीर्ण कर लेने पर परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि कोई स्थायी पद उपलब्ध हो, उसी सेवा या पद पर स्थायी किया जायेगा जिस पर उसकी नियुक्ति की गई है अन्यथा नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा उसके पक्ष में इस आशय का एक प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति को स्थायी कर दिया गया होता किन्तु स्थायी पद उपलब्ध न होने के कारण नहीं किया जा सका और यह कि स्थाई पद उपलब्ध हो जाते ही उसे स्थायी कर दिया जायेगा.

**(7) ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, जिसे न तो स्थायी किया गया है और जिसके पक्ष में न ही उप नियम (6) के अधीन कोई प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो या जिससे उप-नियम (4) के अधीन सेवा से उन्मोचित न किया गया हो, परिवीक्षा समाप्त होने की तारीख से अस्थाई शासकीय सेवक के रूप में नियुक्त किया गया समझा जायेगा तथा उसकी सेवा की शर्तें ''मध्यप्रदेश गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट (टेम्परेरी एण्ड क्वासी परमानेन्ट सर्विस) रूल्स, 1960 द्वारा शासित होगी.''